पावटा में हाइवे पर टैंकर-ट्रेलर में भिड़ंत, केमिकल रिसाव से भीषण आग लगी

हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, दोनों वाहनों के चालकों ने कूदकर अपनी जान बचाई

पावटा में जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर टैंकर-ट्रेलर में टक्कर के बाद वाहनों में आग लग गई।

- बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर केमिकल से भरा एक टैंकर अचानक अपनी लेन छोड़ते हुए दूसरे रोड पर जा पहुंचा और सामने से आ रहे ट्रेलर से भीषण टक्कर हो गई
- हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, मौके पर मौजूद लोगों ने जान बचाकर इधर-उधर भागकर खुद को सुरक्षित किया
- केमिकल रिसाव से भीषण आग में जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 व एक किलोमीटर एरिया घिर गया, मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया

पावटा, (निसं)। जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर रविवार देर रात को अनियंत्रित होकर केमिकल से भरा एक टैंकर अचानक अपनी लेन छोड़ते हुए दूसरे रोड पर जा पहुंचा और सामने से आ रहे ट्रेलर से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के साथ ही टैंकर में भरे ज्वलनशील केमिकल ने आग पकड़ ली और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं दोनों वाहनों के चालकों ने कूदकर अपनी जान बचाई।

जानकारी के अनुसार हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की ऊंची-ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। देखते ही देखते एक किलोमीटर का एरिया केमिकल बिखरने से आग की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जान बचाकर इधर-उधर भागकर खुद को सुरक्षित किया। सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। एहतियातन दोनों ओर का यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे हाइवे पर लंबा जाम लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन आग का गोला बन गए। अगर समय रहते ट्रैफिक नहीं रोका जाता तो बड़ा जनहानि का हादसा हो सकता था। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

वहीं मौके पर कोटपूतली-बहरोड़ जिला कलैक्टर प्रियंका गोस्वामी, एसपी देवेन्द्र विश्नोई सहित आसपास के थाना क्षेत्रों के थाना अधिकारी सहित पुलिस जाब्ता तैनात है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घटनास्थल के आसपास न जाएं और सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

बड़ी घटना को अंजाम देने की आशंका में पांच बदमाश गिरफ्तार

उनियारा थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर थार गाड़ी जब्त की।

- उनियारा थाना पुलिस ने काले रंग की थार गाड़ी भी जब्त की

टोंक, (निसं)। अति. पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव के निर्देशन में चलाए जा रहे संदिग्ध व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की धरपकड़ अभियान के तहत उनियारा थाना पुलिस ने शनिवार को एक काले रंग की थार गाड़ी के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने मुखबिर से सूचना के बाद आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त एक कार में सवार पांच संदिग्ध अपराधियों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया है।

उनियारा थानाधिकारी कालूराम ने बताया कि अभियान के तहत आरोपियों ने पुलिस को देखकर सवाई माधोपुर की ओर कार को दौड़ाया, तो पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने की आंशका के बाद आरोपियों की काले रंग की थार गाड़ी को बंसल पेट्रोल पंप के आगे शराब के ठेके के पास रुकवा लिया। कार सवार 5 अपराधियों से पूछताछ के बाद सन्तोषजनक जबाव नहीं देने बाद उनको गिरफ्तार किया गया। इस दौरान गाड़ी में तलाशी के बाद उनके कब्जे से 6 मोबाइल, 2 लोहे के पाइप जप्त किये गये, जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि वे आपराधिक प्रवृत्ति के थे। मामले में पुलिस अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है।

इस कार्रवाई में आरोपी राजकुमार पुत्र रामदयाल मीणा, बहादुर सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह पवार, ऋषि कुमार पुत्र तरुण कुमार, हेमेन्द्र सिंह पुत्र घलपत सिंह नरुकाएवं गणपत पुत्र राधेश्याम खटीक समस्त निवासी जिला सवाईमाधोपुर को गिरफ्तार किया है।

25 पैसे के इनामी हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के अवैध निर्माण ध्वस्त किये

नगर पालिका सांगोद ने कार्रवाई कर हिस्ट्रीशीटर के दो मकानों पर चलाया बुलडोजर

- कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, पालिका अधिकारी एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा

कोटा, (निसं)। सांगोद इलाके में हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के दो मकानों को नगर पालिका सांगोद ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया, अवैध निमार्ण को ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता मौके पर तैनात किया गया।

जानकारी के अनुसार नगर पालिका सांगोद ने क्षेत्र के अमृतखेड़ी गांव में कोटा ग्रामीण के 25 पैसे के इनामी हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के बावड़ी क्षेत्र की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया दो मंजिला मकान एवं दूसरी जगह दो कमरों के मकान, दोनों मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की कार्रवाई की। सांगोद थानाधिकारी अनिल गौतम ने बताया कि नगर पालिका सांगोद ने आरोपी आदिल मिर्जा के मकानों पर 10 जनवरी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया था, आदिल मिर्जा के दो अलग-अलग मकान जो अतिक्रमण करके बनाये गये थे, थानाधिकारी ने बताया कि नगर पालिका सांगोद ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अवैध निमार्ण को ध्वस्त किया। थानाधिकारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिये 100 से अधिक पुलिस जवानों का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया था। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका के अधिकारी एवं पुलिस के उच्च अधिकारियो के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया हुआ था।

हिस्ट्रीशीटर के घर दबिश में 17 लाख रुपये और सात कारतूस बरामद

- हिस्ट्रीशीटर लाला गिरफ्तार, भाई के साथ एमडी बेचता है, 5.29 ग्राम एमडी भी जब्त की
- दोनों भाई एमडी खरीदने वाले ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेते थे, पुलिस ने क्यूआर कोड जब्त किये

बीकानेर, (निसं)। सदर थाना पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद राशिद उर्फ लाला के घर दबिश देकर 5.29 ग्राम एमडी और सात कारतूस बरामद किए हैं। हिस्ट्रीशीटर अपने भाई के साथ मिलकर एमडी बेचता है जिसकी बिक्री के 17 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार सुबह सदर थाना पुलिस को इत्तला मिली थी कि एचएस राशिद उर्फ लाला के भुट्टों का बास सुभाषपुरा स्थित घर में मादक पदार्थ और अवैध हथियार हैं। एसएचओ सुरेन्द्र पचार और उनकी टीम ने पूरे घर की घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस ने घर के कमरे में मिले राशिद को गिरफ्त में लिया। घर की तलाशी ली तो कमरे में खिड़की के पास पर्दे के पीछे से एक पिट्ठू बैग मिला जिसमें से 17,05440 रुपए नकद, 5.29 ग्राम एमडी और प्लास्टिक की जिपर वाली थैलियां बरामद हुई। इसके अलावा सात कारतूस मिले। पुलिस ने नकदी, एमडी, कारतूस जब्त कर लिए। राशिद से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह अपने भाई जाहिद हुसैन के साथ मिलकर एमडी बेचता है। जाहिद बाहर गया हुआ है। पुलिस ने राशिद के खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच व्यास कॉलोनी पुलिस थाने के एसएचओ विक्रम तिवाड़ी को सौंपी गई है।

एसएचओ ने बताया कि राशिद सदर पुलिस थाने के एचएस है और उसके खिलाफ पुलिस थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की टीम में एसआई हंसराज, एएसआई मदनलाल, कांस्टेबल शब्दल अली, भागीरथ, ममता और संतराम शामिल थे। पुलिस को एचएस राशिद के घर से तीन क्यूआर कोड मिले हैं। दोनों भाई एमडी खरीदने वाले ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेते थे। इसके लिए दो पेटीएम और एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक का क्यूआर कोड रखा हुआ था। पुलिस ने क्यूआर कोड जब्त कर लिए हैं। एचएस राशिद उर्फ लाला और उसका भाई जाहिद प्लास्टिक की जिपर वाली थैलियों में एमडी बेचते हैं। फलौदी में उनके रिश्तेदार उमरदीन से एमडी लाई जाती है जो वहां काबड़ीसर का रहने वाला है। भुट्टों का बास निवासी भाई खान फलौदी से एमडी लाकर राशिद और जाहिद को देता है। पुलिस ने दो मोबाइल भी जब्त किए हैं जिनकी कॉल डिटेल खंगाली जाएगी। आरोपियों से पूछताछ कर एमडी के नेटवर्क का पता लगाएगी।

भरतपुर में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी से 3.50 लाख की सायबर ठगी

सायबर ठगी के आरोपी को गांधीनगर गुजरात से गिरफ्तार किया, पुलिस ने आरोपी से ठगी की पूरी रकम पीड़ित को वापस दिलवाई

पुलिस ने सायबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया।

भरतपुर, (निसं)। कोतवाली थाना पुलिस ने रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी का मोबाइल हैक कर 3 लाख 50 हजार रुपये की सायबर ठगी करने वाले एक आरोपी को भरतपुर पुलिस ने गांधीनगर (गुजरात) से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से ठगी की पूरी रकम पीड़ित को वापस दिलवा दी है।

जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनन्द के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय धर्मेन्द्र यादव एवं सहायक पुलिस अधीक्षक पंकज यादव के निकटतम सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली भरतपुर के थानाधिकारी जितेन्द्र गंगवानी के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने सायबर ठग को गुजरात से गिरफ्तार किया है। कोतवाल जितेंद्र गंगवानी ने बताया कि 15 नवंबर 2025 को मुस्तगीस गिर्राज कॉलोनी, भरतपुर निवासी रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी जयचन्द ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल हैक कर उनके बैंक खाते से आईएमपीएस के माध्यम से 3 लाख 50 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए।

इसके बाद आरोपी ने उक्त राशि को अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर नकद निकाल लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी समीर शशीकान्त भाई गज्जर पुत्र शशीकान्त भाई गज्जर, सुथार निवासी एल-205 शाल्विक शुकन फ्लैट, बावोल, थाना सेक्टर-7, गांधीनगर (गुजरात) को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से पीड़ित रेलकर्मी को ठगी की पूरी राशि वापस दिलवा दी गई है। आरोपी गांधीनगर (गुजरात) में दवाइयों एवं पैथोलॉजी लैब का व्यवसाय करता है। फिलहाल आरोपी के बैंक खातों एवं मोबाइल की गहनता से जांच की जा रही है, जिससे सायबर ठगी से जुड़े अन्य खुलासे होने की संभावना है।

डूंगरपुर में पेड़ से लटके मिले नाबालिग प्रेमी युगल के शव

दोनों के शव 15 दिन पुराने बताए जा रहे हैं, जिस वजह से बदबू भी आ रही थी

- 18 दिन से लापता थे, एक ही गोत्र के होने से परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे

डूंगरपुर, (निसं)। डूंगरपुर के वरदा थाना क्षेत्र के मांडव गांव के पास पेड़ से नाबालिग प्रेमी युगल के शव लटके मिले। दोनों के शव 15 दिन पुराने बताए जा रहे हैं, जिस वजह से बदबू भी आ रही थी। दोनों एक जनवरी से घर से गायब थे। एक ही गोत्र के होने से परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। घर से करीब 500 मीटर दूरी पर दोनों के शव मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

वरदा थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि सूचना मिली थी कि मांडव गांव के सांगेला तालाब के पास जंगल में एक पेड़ से युवक व युवती के शव लटके हुए है। वहीं शव काफी पुराने बताए जा रहे हैं, जिस वजह से काफी बदबू भी आ रही थी। सूचना पर वरदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर शवों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करवाई। जांच के दौरान शवों की पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को मामले की सूचना दी। सूचना पर दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों को पेड़ से उतरवाया और सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के अनुसार दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों का गोत्र एक होने से परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हुए। जिसके बाद एक जनवरी को दोनों घर से निकल गए थे और तब से गायब चल रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मादक पदार्थ सहित तीन गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा पुलिस टीम ने नशे के खिलाफ चलाये जा रहे ऑपरेशन गरूड्व्यूह के तहत नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक कार से अवैध मादक पदार्थ 06.94 ग्राम एमडीएमए बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि गुमानपुरा थानाधिकारी महेश कुमार ने मय जाप्ता रामचन्द्र पुलिया के नीचे कैथून रोड़ पर नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग की। शहर एसपी ने बताया कि चैकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो कार में तलाशी के दौरान अवैध मादक पदार्थ 06.94 ग्राम एमडीएमए पदार्थ मिला। पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए तालाब गांव निवासी साजिद हुसैन (25), कैथून निवासी मोहम्मद इमरान उर्फ चिकना (35) एवं मोहम्मद इरफान उर्फ काका को गिरफ्तार किया।

कोटा में नौ लाख कीमत का अवैध डोडा-चूरा सहित दो तस्कर गिरफ्तार

मंडाना पुलिस टीम ने 48 किलो डोडा-चूरा सहित कार जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।

कोटा, (निसं)। मंडाना पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए कार से अवैध मादक पदार्थ 48 किलो 820 ग्राम डोडा-चूरा सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये अवैध मादक पदार्थ की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब नौ लाख रूपये बताई गई है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस उप अधीक्षक राजेश ढाका के सुपरविजन में मंडाना थाने के कार्यवाहक उपनिरीक्षक थानाधिकारी उतमसिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कोटा-झालावाड़ एनएच-52 पर टोल प्लाजा मंडाना के पास नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग की। ग्रामीण एसपी ने बताया कि वाहन चैकिंग के दौरान एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो कार से पुलिस टीम को 48 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा बरामद हुआ। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा बरामद किये गये अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 9 लाख रूपये करीब है। पुलिस टीम ने मौके पर मादक पदार्थ एवं कार को जब्त किया एवं एनडीपीएस एक्ट में जिला जैसलमेर के साकडिया निवासी प्रकाश राजपुरोहित (25) एवं देवीकोट निवासी सोमेन्द्र सिह राजपुरोहित (22) को गिरफ्तार किया, पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

प्रिंसिपल प्रमोशन के लिये काउंसलिंग स्थगित

- हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग का फैसला

बीकानेर, (निसं)। शिक्षा विभाग की ओर से प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए शुरू की गई काउंसिलिंग प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

विभाग ने पिछले दिनों प्रिंसिपल के प्रमोशन के लिए काउंसलिंग की तैयारियां शुरू की थीं और इसके लिए एक मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। शिक्षा विभाग ने हाल ही में प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए काउंसलिंग की तैयारी शुरू की थी। काउंसलिंग केलेंडर के अनुसार 3801 प्रमोटी प्रिंसिपलों की वरियता सूची भी जारी कर दी गई थी। इस सूची के आधार पर काउंसलिंग के जरिए पदस्थापन किया जाना प्रस्तावित था। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के जरिए पदस्थापन दिया जाना था। इसके लिए विभागीय स्तर पर तिथियों और प्रक्रिया को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई थी। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग प्रक्रिया को अगली आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में यह निर्णय लिया गया है। अब कोर्ट से आगे के आदेश आने के बाद ही काउंसलिंग को लेकर अगली कार्रवाई की जाएगी।

काउंसलिंग स्थगित होने से प्रिंसिपल पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सभी की नजरें अब हाईकोर्ट के आगामी आदेश और शिक्षा विभाग के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।

पाटन में कछुआ बेचने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पाटन, (निसं)। स्थानीय पुलिस ने कछुआ बेचने के नाम पर ठगी के मामले में फरार चल रहे पांच हजार रुपये के इनामी आरोपी घोलूराम बावरिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले चार वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था।

पाटन थानाधिकारी रमेश मीणा ने बताया कि 12 मार्च 2021 को किशोरी लाल निवासी कांकड़ का तिबारा, दरीबा ने थाने में ठगी का मामला दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार, कृष्ण कुमार बावरिया ने मनोज कुमार और दिनेश कुमार को बिजली फिटिंग के काम के लिए अपने घर बुलाया था। इसी दौरान उनकी आपस में जान-पहचान हो गई। काम के दौरान कृष्ण बावरिया ने दोनों को बड़े मुनाफे का लालच दिया और अपनी बोलेरो, ब्रेजा गाड़ी व ट्रैक्टर दिखाकर भरोसा जीत लिया। 3 अप्रैल 2021 को कृष्ण बावरिया ने मनोज को फोन कर बताया कि दौसा की एक पार्टी के पास 'माल' है। इसके बाद उसने मनोज और दिनेश को पावटा बुलाकर सस्ते में कछुआ खरीदकर महंगे दामों में बेचने का झांसा दिया और 4 लाख 20 हजार रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान मुख्य आरोपी कृष्ण बावरिया को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है, जबकि घोलूराम बावरिया और मामराज बावरिया घटना के बाद से फरार चल रहे थे। सीकर पुलिस अधीक्षक ने दोनों फरार आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। वांछित आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम ने बल्लपुरा, छाजा की नांगल, नारनौल, झुंझुनूं, कोटपूतली, मुंडावर, थानागाजी और अलवर सहित कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी। सायबर सेल सीकर के सहयोग से कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्राप्त कर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने इनामी आरोपी घोलूराम बावरिया को गिरफ्तार कर लिया।